न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा (राज0)

नाम पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी, तहसीलदार माण्डलगढ

प्रकरण संख्या 35/2015
दायर दिनांकः 01.09.2015

उनवान

रामचंद्र पिता नाथू रेगर उम्र बालिग निवासी खाखुन्दा तहसील माण्डलगढ

——प्रार्थी

बनाम

गिरधरसिह पिता पहाडसिह राजपूत उम्र बालिग निवासी खाखुन्दा तहसील माण्डलगढ

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः— श्री उदयलाल गुजर :— अधिवक्ता प्रार्थी
श्री भंवरसिह राजपूत निवासी खाखुन्दाः— अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 09.10.2020

प्रकरण संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थी रामचंद्र पिता नाथु रेगर निवासी खाखुन्दा तहसील माण्डलगढ ने दिनांक 24.08.2015 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खाखुन्दा प0ह0 राजगढ तहसील माण्डलगढ के आराजी नं. 245/218 रकबा 1 बीघा स्वयं की संयुक्त खातेदारी मे चली आ रही है। प्रार्थी ने अपनी उक्त वर्णित खातेदारी भूमि किसी भी व्यक्ति को रहन विक्रय नही किया है। करीब 1 वर्ष पूर्व विपक्षी जो स्वर्ण जाति का है ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। विपक्षी को जब कब्जा छोडने को कहां गया तो विपक्षी ने उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाने के लिए कहॉ तो मुझ प्रार्थी ने उक्त भूमि की दिनांक 09.06.2015 को पत्थगढी करवाई गई जिसके अनुसार मेरी संयुक्त खातेदारी भूमि के आराजी नं. 245/218 रकबा 1 बीघा भूमि पर विपक्षी गिरधरसिह पिता पहाडसिह राजपूत उम्र बालिग निवासी खाखुन्दा तहसील माण्डलगढ का अवैध कब्जा पाया गया। वक्त पत्थरगढी मुझ प्रार्थी व संयुक्त खातेदारो द्वारा विपक्षी से कब्जा हटाने बाबत निवेदन किया गया तो विपक्षी इन्कार हो गया और कहॉ कि मैं उक्त भूमि का कब्जा नही छोडुंगा। प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि पर विपक्षी अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है व विपक्षी स्वर्ण जाति का होने से उसे डरा व धमका रहा है। अतः विपक्षी को विवादित भूमि से बेदखल कर कब्जा प्रार्थी को सपुर्द करने बाबत निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को नोटिस जारी किये गये।

दिनांक 15.09.2015 को विपक्षी की ओर से अधिवक्ता रितुराज सिह राठौड से अधिकार पत्र पेश किया व जवाब हेतु समय चाहा गया जो न्याय हित मे दिया जाकर अधिकार पत्र शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी की ओर से दिनांक 10.12.2015 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। विपक्षी ने अपने जवाब मे यह कथन किया है कि विवादित भूमि पीढीयो से हमारे परिवार वालो के नाम पर चली आ रही है तथा विपक्षी के पिता पहाडसिह ने उक्त भूमि को प्रार्थी के दादा बरदा को बेचान किया था तब से उक्त भूमि प्रार्थी के ही कब्जे मे है व प्रार्थी शान्तिपूर्वक काश्त कर रहे है। विपक्षी ने उक्त विवादित भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नही किया है। उक्त भूमि की कब पत्थरगढी करवाई इसकी सूचना भी विपक्षी को नही दी गई है। विवादित भूमि पर न ही विपक्षी का कब्जा है एवं न ही प्रार्थी व विपक्षी के बीच कोई बोलचाल व कहासूनी हुई है। जवाब प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार माण्डलगढ

Scanned with CamScanner

दिनांक 10.02.2016 को प्रार्थी रामचंद्र पिता नाथु रेगर निवासी खाखुन्दा ने उपस्थित होकर अपने बयान कलमबद्व करवाये। प्रार्थी ने अपने बयानो मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए विपक्षी से विवादित भूमि का कब्जा दिलवाने बाबत निवेदन किया गया। विपक्षी अधिवक्ता की जिरह पर प्रार्थी ने उक्त भूमि विपक्षी के पिता से खरीदना स्वीकार किया एवं विपक्षी का कब्जा किस दिशा मे है इसकी जानकारी नही होना बताया है। प्रार्थी के बयान को शामिल पत्रावली किया गया।

विवादित भूमि की वर्तमान मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का राजगढ से तलब की गई। पटवारी हल्का राजगढ ने दिनांक 10.08.2016 को प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मे विवादित भूमि पर विपक्षी गिरधरसिह पिता पहाडसिह राजपूत निवासी खाखुन्दा का कब्जा होना अवगत करवाया है। मौका रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई।

प्रकरण मे भू–अभिलेख निरीक्षक काछोला से विवादित भूमि की वर्तमान मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। भू–अभिलेख निरीक्षक काछोला ने दिनांक 08.09.2020 को प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से अवगत करवाया कि विवादित भूमि के आराजी नं. 245/218 रकबा 1 बीघा भूमि पर विपक्षी गिरधरसिह पिता पहाडसिह राजपूत निवासी खाखुन्दा का कब्जा था जिस पर करीब 1 वर्ष पूर्व भंवरसिह पिता रघुवीरसिह राजपूत निवासी खाखुन्दा ने कब्जा कर लिया है। वर्तमान मे विवादित भूमि पर भंवरसिह पिता रघुवीरसिह राजपूत निवासी खाखुन्दा तहसील माण्डलगढ का कब्जा है। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट को शामिल पत्रावली किया जाकर जरिये नोटिस भंवरसिह पिता रघुवीरसिह राजपूत निवासी खाखुन्दा तहसील माण्डलगढ को तलब किया गया।

दिनांक 09.10.2020 को भंवरसिह पिता रघुवीरसिह राजपूत निवासी खाखुन्दा तहसील माण्डलगढ उपस्थित हुआ। अप्रार्थी भंवरसिह राजपूत ने अपने मौखिक बयानो मे अवगत करवाया कि विवादित भूमि पर वर्तमान मे उसी का कब्जा है एवं विवादित भूमि उनकी पुस्तैनी भूमि है तथा उनके पारिवारिक बंटवारे से उनके हिस्से मे आई है। भंवरसिह की सम्पूर्ण बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता की भी बहस सुनी गई।

मेनें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, पत्थगढी का मौका पर्चा, रिपोर्ट पटवारी व भू0अ0नि0 की मौका रिपोर्ट व सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया एवं अप्रार्थी भंवरसिह राजपूत व प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर गहनता से मनन किया तो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्याय संगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर भू–अभिलेख निरीक्षक काछोला को आदेशित किया जाता है कि ग्राम खाखुन्दा प0ह0 राजगढ तहसील माण्डलगढ के आराजी नं. 245/218 रकबा 1 बीघा भूमि से अप्रार्थी भंवरसिह पिता रघुवीरसिह राजपूत निवासी खाखुन्दा तहसील माण्डलगढ को बेदखल कर कब्जा प्रार्थी व संयुक्त खातेदारों को संभलाया जावे। निर्णय खुले न्यायालय मे प्रार्थी के अधिवक्ता व अप्रार्थी भंवरसिह राजपूत की उपस्थिति मे सुनाया गया। निर्णय की पालना हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक काछोला को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुरेन्द्र सिंह चौधरी)
तहसीलदार माण्डलगढ
तहसीलदार माण्डलगढ

Scanned with CamScanner